

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2 PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं॰ 35] No. 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 1996/आश्विन 26, 1918 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 1996/ASVINA 26, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पश्च)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1996

फा. सं. ए-12022/4/90-पी ई-L—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, कांडला पत्तन न्यास के उपाध्यक्ष श्री ए. के. निगम, भा. प्र. से. (गुजरात : 83) को दिनांक 1-4-1996 से कांडला पत्तन न्यास का तब तक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करती है जब तक कि नियमित पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाए ।

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1996

F. No. A-12022/4/90-PE-L.—In exercise of the powers conferred on the Central Government by Section 14A of the Major Port Trust Act, 1963, the Central Government appoints Shri A. K. Nigam, IAS (GJ: 83), Deputy Chairman, Kandla Port Trust as Acting Chairman, Kandla Port Trust w.e.f. 1-4-1996 till a regular incumbent joins.

K. V. RAO, Jt. Secy.

2573 GI/96